INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP88107334680749W

e-Stamp

IV 57/2024

Certificate No.	:	IN-UP88107334680749W
Certificate Issued Date	:	06-Mar-2024 02:17 PM
Account Reference	:	IMPACC (SH)/ upshimp17/ VARANASI3/ UP-VNS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHIMP1772430999326729W
Purchased by	:	PRATIK SRIVASTAVA
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	PRATIK SRIVASTAVA
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	PRATIK SRIVASTAVA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	500 (Five Hundred only)

Stock Holding Corporation of India Ltd. SHCIL Kachhary Branch Varanasi

LOCKED

7195

Please write or type below this line

202400996012370

न्यास विलेख (घोशणा पत्र)

सोशल एम्पावरमेण्ट एंड रिसर्च आर्गेनाइजेशन (SERO)
(सामाजिक सशक्तिकरण एवं अनुसंधान संगठन)

मैं प्रतीक श्रीवास्तव पुत्र श्री जीतेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, आधार संख्या : 7369 1663 0450, पता: सा–61/149, जे–1, जे.डी. नगर फेस 1, अकथा, पहड़िया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश (भारत) – 221007 का निवासी हूँ। **मैं सोशल एम्पावरमेण्ट एंड रिसर्च आर्गेनाइजेशन (SERO) (सामाजिक सशक्तिकरण एव अनुसंधान संगठन)** का न्यास व अधिनस्थ ट्रस्ट का निम्न स्मृति पत्र एव न्यास का नियमावली तथा ट्रस्ट का स्थापित तिथि में लिखित संविधान व उपविधान का न्यास विलेख निष्पादित कर रहा हूँ। जिसका मूल्य 10,000.00 (दस हजार रूपये मात्र) है। स्टाम्प शुल्क रू0 1110 00 (एक हजार एक सौ दस रूपये मात्र) है। इसके अलावा न्यास के पास वर्तमान में कोई अन्य चल व अचल सम्पत्ति नही है और न ही न्यास के द्वारा किसी स्थावत सम्पत्ति का अन्तरण ही किया जा रहा है।

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP88105917780744W

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP88105917780744W
Certificate Issued Date	:	06-Mar-2024 02:16 PM
Account Reference	:	IMPACC (SH)/ upshimp17/ VARANASI3/ UP-VNS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHIMP1772440798354048W
Purchased by	:	PRATIK SRIVASTAVA
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	PRATIK SRIVASTAVA
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	PRATIK SRIVASTAVA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	250 (Two Hundred And Fifty only)

Stock Holding Corporation of India Ltd. SHCIL Kachhary Branch Varanasi

LOCKED

Please write or type below this line

न्यास का स्मृति पत्र

1.	न्यास का नाम	सोशल एम्पावरमेण्ट एंड रिसर्च आर्गेनाइजेशन (SERO) (सामाजिक सशक्तिकरण एवं अनुसंधान संगठन)
2.	न्यास का प्रधान कार्यालय का पता	सा–61/149, जे–1, जे.डी. नगर फेस 1, अकथा, पहड़िया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश (भारत) – 221007
3.	न्यास का कार्यक्षेत्र	सम्पूर्ण भारत वर्ष

Srivastava

न्यास का उद्देश्य

1. भारतीय जनता में सामाजिक, नैतिक, संस्कृतिक, चारित्रिक, शारीरिक, मानसिक, अध्यात्मिक उन्नति का प्रचार प्रसार करना ताकि जीवन सुखमय एवं संपन्न हो सके ।

2. शिक्षा जगत में अपना महत्वपूर्ण योगदान करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा शिक्षा के बहुमुखी विकास हेतु संस्था के कार्यक्षेत्र में बालक एवं बालिकाओ हेतु नर्सरी तथा प्राइमरी स्तर से लेकर जूनियर हाईस्कूल, माध्यमिक एवं आवश्यकता पड़ने पर इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर कक्षा तक के स्कूल एवं कॉलेज खोलना एवं उनका संचालन करना।

3. संस्था अपने कार्यक्षेत्र में विभिन्न प्रतियोगिताओं का संचालन, निशुल्क कोचिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेण्टर की स्थापना करना एवं संचालन करना।

4. पुस्तकालय एवं वाचनालय को खोलना एवं सचालन करना।

5. कृषि, विज्ञान, संस्कृतिक, संगीत, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा अन्य किसी भी प्रकार की शिक्षा हेतु प्रचार एवं प्रसार, शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलना एवं संचालन करना तथा केन्द्रों का संचालन एवं प्रबन्धन करते हुये राजकीय ईकाइयों से सम्बद्ध करना।

6. सभी जाति एवं दुर्बल आय वर्ग के बच्चों हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना । जिसके लिए सरकार की सहायता से अथवा अपने स्तर पर कोचिंग केंद्र स्थापित कर उनका संचालन करना ।

7. मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज शासनादेश संख्या 6935 एस.ई.के. –14/ब्रांच –130/94 के अंतर्गत शासकीय पूर्व अनुमति से खुलवाना एवं संचालन करना।

8. समय समय पर खेल कूद प्रतियोगिताये, संस्कृतिक कार्यक्रमों, वाद विवाद, लेखन, निबंध लेखन, कला प्रतियोगिता का आयोजन करना, व्यायामशाला , क्रीड़ास्थल का प्रबंध करना।

9. सभी प्रकार के रिसर्च तथा सेमिनार आदि कराना।

10. महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु निराश्रित महिला केन्द्रों, नारी निकेतन, शिल्पकला केंद्र, सिलाई, कढाई, कताई, बुनाई, हस्तकला, शिल्पकला, तकनिकी/व्यवसायिक शिक्षा आदि के शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलना, संचालन तथा प्रबंधन करना जिसके माध्यम से उनमें स्वावलम्बन व आत्म निर्भरता उत्पन्न कर सामजिक जीवन में सुधार लाना । महिलाओं के अधिकारों के लिए यथा संभव प्रयास करना, पीड़ित महिला को कानूनी सहायता उपलब्ध करने में मदद करना। महिलाओं की सुरक्षा, परिवार नियोजन, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज उन्मूलन इत्यादि में जागरूक करना।

11. निर्धन व असहाय महिलाओं एवं बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम का अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएँ दिलाने का यथासंभव प्रयास करना। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए होम्स खोलना, उनकी देखरेख एवं संचालन करना।

Binabar

आवेदन सं०: 202400996012370

न्यास पत्र

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 57 | वर्ष: 2024

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 200

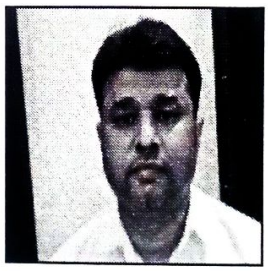

श्री प्रतीक श्रीवास्तव ,
पुत्र श्री जितेन्द्र नाथ श्रीवास्तव
व्यवसाय : अन्य
निवासी: सा-61/149, जे-1, जे-डी- नगर फेस 1, अकथा पहड़िया, वाराणसी

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 23/03/2024 एवं 11:40:30 AM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजीत कुमार . प्रभारी .
उप निबंधक :सदर प्रथम
वाराणसी
23/03/2024

मोहम्मद हमज़ा .
निबंधक लिपिक
23/03/2024

प्रिंट करें

12. ड्राप आउट बच्चे, बाल श्रमिक, स्ट्रीट चिल्ड्रेन, भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को वापस से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करना तथा उनके शिक्षा, उनके पुनर्वासन, समाज में उनके सम्मान और पहचान दिलाने हेतु प्रयास करना तथा विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से उनको लाभान्वित कराना । उनकी निशुल्क शिक्षा का प्रबंध करना ।

13. देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों के सहयोग से उनकी सुरक्षा एवं अधिकार के लिए काम करना ।

14. परिवार कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण, मातृत्व कल्याण, एवं अन्य योजनाओं द्वारा जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उनके विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाना।

15. वृद्धजनो के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, अपने स्तर से व अन्य द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओ का संचालन करना एवं उनका लाभ दिलाना । वृद्धाश्रम खोलना एवं उनका संचालन करना द्य उनकी सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मान को सुनिश्चित करना ।

16. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, अपने स्तर से चलाये जाने वाली विभिन्न हेल्पलाइन का प्रचार प्रसार कर जनमानस को उसके द्वारा मिलने वाली सहायता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करना ।

17. ग्रामीण विकास एवं जल संरक्षण हेतु कार्य करना तथा किसानों के विकास हेतु कार्य करना । हरित क्रांति एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना। ग्रामीण विकास हेतु युवाओं के दल का गठन, महिला समूह/मण्डल दल का गठन, स्वयं सहायता समूह का गठन कराना।

18. कृषि सम्बन्धी उच्च तकनीकी का विकास करना । किसानों को उसकी जानकारी हेतु प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित करना।

19. ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग व अन्य विभागों की योजनाओं द्वारा गाँव एवं किसान का विकास करना ।

20. सरकारी, गैर सरकारी स्तर पर किसानों के जीवन स्तर ऊँचा करने हेतु सेवाओं का लाभ दिलाना, FPO, मशीनरी बैंक द्वारा किसानो का जीवन स्तर सुधरने हेतु कार्य करना।

21. ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में निर्बल, बेरोजगार, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के जीवन स्तर को उठाने हेतु विभिन्न प्रकार के लघु एवं कुटीर उद्द्योग, खादी ग्रामोद्योग सम्बन्धी जानकारी प्रदान करना, उनको प्रशिक्षण दिला कर आवश्यकतानुसार उनकी सहायता करते हुए स्वावलंबी बनाने में योगदान देना।

22. अपने कार्यक्षेत्र के नागरिकों का जीवन सुखमय एवं शांतिमय बनाने हेतु कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लघु एवं कुटीर उद्द्योग निदेशालय MSME की योजनाओं व कार्यक्रमों को उनके निर्धारित पैटर्न के अनुसार अपना कर इनके उद्द्योग केन्द्रों की स्थापना कर उनका संचालन करना।

23. उद्यमिता विकास एवं प्रोत्साहन हेतु कार्य करना ।

आवेदन सं०: 202400996012370

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 57 वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री प्रतीक श्रीवास्तव, पुत्र श्री जितेन्द्र नाथ श्रीवास्तव

निवासी: सा-61/149, जे-1, जे-डी- नगर फेस 1, अकथा पहड़िया, वाराणसी

व्यवसाय: अन्य


ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्रीमती पूजा देवी, पत्नी श्री रामकुमार

निवासी: संदहा, डोमनपुर, वाराणसी उ०प्र०-221112

व्यवसाय: अन्य


पहचानकर्ता : 2

श्रीमती चन्द्र कला, पत्नी श्री वेद प्रकाश

निवासी: सा 5/38-88, पहाड़पुर, वाराणसी उ०प्र०-221002

व्यवसाय: अन्य


वाराणसी-जिला वाराणसी

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजीत कुमार . प्रभारी .
उप निबंधक : सदर प्रथम
वाराणसी
23/03/2024

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

मोहम्मद हमज़ा .
निबंधक लिपिक वाराणसी
23/03/2024

24. संस्था के कार्यक्षेत्र में आने वाले अनुसूचित जाति, जनजातियों, कारीगरों, निर्धनों, दिव्यांगों, विधवाओं, एवं निराश्रित को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकारी, गैर सरकारी स्तर पर यथा संभव सहायता उपलब्ध कराना ।

25. संस्था के कार्यक्षेत्र में सभी जरूरतमंद पीड़ित महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को कानूनी जानकारी एवं सलाह प्रदान करने हेतु विभिन्न केन्द्रों का संचालन एवं कैम्पों का आयोजन करना । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनमानस को लाभान्वित कराना तथा प्राधिकरण के साथ उनकी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर जरूरतमंद, पीड़ित को लाभ दिलाना ।

26. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभाग, राज्य सरकार के सभी विभाग, जिला प्रशासन के सभी विभाग, कपार्ट, नाबार्ड, डूडा, सूडा, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, unicef, WHO, देश विदेश तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना एवं उनका प्रचार प्रसार करना।

27. संस्था के उद्देश्यों एवं कार्यों के सफल संचालन हेतु जिला / मंडल/ प्रदेश स्तर पर आवश्यकतानुसार उपसमितियों का गठन करना।

28. भारत सरकार के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने हेतु अपने स्तर पर कार्य करना एवं आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार / राज्य सरकार / जिला प्रशासन का यथा संभव सहयोग लेना या करना ।

29. बेसहारा जानवरों हेतु पौशाला, गौशाला, शेल्टर होम बनवाना और उनका देखरेख करना तथा उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए कार्य करना ।

30. ट्रस्ट अपने कार्यक्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को रोजगार हेतु रोजगार मेला का आयोजन कर यथा संभव रोजगार उपलब्ध करने का प्रयास करेगी । ट्रस्ट सेवायोजन कार्यालय के अनुमति के साथ रोजगार मेला का आयोजन करेगी ।

31. ट्रस्ट सशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम, सदस्यता शुल्क, कंसल्टेंसी, व्यक्तियों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, फर्मों, विदेशी संस्था व मित्रों से दान, अनुदान एवं ऋण के रूप में के माध्यम से संस्था के कार्यों की पूर्ती हेतु धन का संकलन करेगी ।

32. नशा निषेध, पर्यावरण संरक्षण, सदभाव बढ़ाने, शिक्षा, गरीबी, भिक्षावृत्ति उन्मूलन, अनुसन्धान आदि अनेकों ऐसे कार्य जिससे समाज का स्तर सुधरे, रोजगार, व्यक्तित्व का विकास हो ऐसे कार्यों को करना । सामूहिक कार्यों द्वारा सहयोगी भावनाओं का विकास करना, श्रम दान, ग्रामों/शहरों की सफाई जैसे कार्य सामूहिक रूप से करना एवं समाज कल्याण की प्रवत्ति पैदा करना ।

33. स्वास्थ्य विभाग के साथ स्वास्थ्य शिविरों के मध्यम से जनमानस तक उनकी जाँच एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना । जन औषधि केद्र का प्रचार प्रसार करना जिससे निर्धन समुदाय को कम दाम पर दवा उपलब्ध हो सके ।

34. यातायात सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करना तथा यातायात विभाग का आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना।

Binod Kumar

उपनिबंधक सब रजिस्ट्रार वाराणसी-जिला वाराणसी
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

35. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिये शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा तथा स्वरोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करना तथा इनके जीवन स्तर को सुधारने हेतु आवश्यक एवं यथा सम्भव प्रयास करना।

36. जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना एवं आवश्यक प्रशिक्षण आदि प्रदान करना।

37. श्रमिकों (संगठित तथा असंगठित क्षेत्र) के विकास हेतु श्रमिकों को सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने में सहयोग करना।

38. प्राकृतिक आपदाओं में आपदा प्रबन्धन हेतु राहत कार्य करना एवं आम जनमानस को बचाव हेतु यथा आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना एवं जागरूकता का कार्य करना। आपदा, दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना।

39. महिला/बालिका के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिये प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था/ प्रदान करना।

40. भूमिहीन, निर्धन व बेघर परिवारों हेतु आश्रय/आवास दिलवाने में सहयोग करना। आश्रयहीनों को रैन बसेरा तक पहुँचाने में सहयोग करना तथा यथा सम्भव/आवश्यक वस्त्रों का वितरण करना।

41. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड भारत सरकार के सहयोग से असंगठित/संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाना एवं श्रम विद्यालयों का संचालन करना।

42. सामजिक हित के लिये किसी भी प्रकार के कार्य को कराना जिससे समाज का सशक्तिकरण, उत्थान, विकास हो ।

43. ट्रस्ट के विस्तार हेतु देश के समस्त राज्यों में उपसमितियॉ बनाना एवं पदाधिकारी नियुक्त करना एवं उन्हे जिम्मेदारी देना।

44. युवाओं एवं छात्रों को संगठित कर उन्हें ट्रस्ट से जोड़ना और उनके बहुमुखी विकास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना एवं उनको समाज हित एवं समाज के प्रति उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिये प्रेरितकरना।

45. स्वयं सहायता समूह गठित कर अल्प बचत को बढ़ावा देना तथा सामूहिक/व्यक्तिगत कुटीर उद्योगों के लिये प्रेरित करना एवं आवश्यक प्रशिक्षण दिलवाना।

46. सभी गरीब एवं असहाय लोगों के जातियों के विवाह के लिये सहयोग करना।

ट्रस्ट के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद जिनको ट्रस्ट के इस स्मृति पत्र संलग्न नियमावली के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है। मैं न्यासकर्ता, एवं न्यास के निम्न महानुभाव भी आजीवन न्यासी होंगे, जो निम्नवत है –

Bisvasan

क.सं.	ट्रस्टी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद / न्यासी	लिंग
1.	श्रीमती शैल शुक्ला	श्री विनोद कुमार शुक्ला	43/155, नारियल बाजार, काली मंदिर के पास, मेस्टन रोड, कानपुर नगर, उ0प्र0 –208001	न्यासी /अध्यक्षा	स्त्री
पैन	JNOPS6380D				
आधार	758977899368				
2.	श्री सौरभ कुमार	श्री अनिल कुंमार श्रीवास्तव	ए 414, AWHO, विवेक विहार, केन्द्रीय विहार के पास, से0–82, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0 – 201304	न्यासी / उपाध्यक्ष	पुरूष
पैन	ASRPK9240M				
आधार	359901353058				
3.	श्री प्रतीक श्रीवास्तव	श्री जीतेन्द्र नाथ श्रीवास्तव	सा. 61/149, जे 1, जेडी नगर फेस 1, अकथा, पहड़िया, वाराणसी, उ0प्र0 –221001	न्यासी /सचिव	पुरूष
पैन	ASAPS3851R				
आधार	736916630450				
4.	श्रीमती गजाला परवीन	श्री नफीस अहमद	216/5, लेबर कालोनी, जूही डिपो, जूही कालोनी, कानपुर, उ0प्र0– 208014	न्यासी / उप सचिव	स्त्री
पैन	CZJPP0218F				
आधार	989406932519				
5.	श्रीमती कंचन गुप्ता	स्व. श्री छेदी लाल गुप्ता	सा 21/67–3 रूप्पनपुर, पंचकोशी, सलारपुर, वाराणसी उ0प्र0	न्यासी / कोषाध्यक्ष	स्त्री
पैन	AIGPV2045N				
आधार	401621333445				
6.	श्रीमती सुजाता सिसोदिया	श्री लोकेश शिपंकर	BE–6बी, ज्ञानशिला सुपर सिटी, ज्ञानशिला गोल चौराहा, धाबली, इन्दौर, म0प्र0 – 453771	न्यासी	स्त्री
पैन	ELRPS3743C				
आधार	668795720563				
7.	श्री आलोक सूर्यकान्त यादव	श्री अशोक कुमार	ग्राम करौसा, करौसा, कानपुर देहात, उ0प्र0 – 209101	न्यासी	पुरूष
पैन					
आधार	357093101707				

8.	कु0 रेनू यादव	श्री प्रेम कुमार	सा–19/90, दीनदयालपुर, नक्खीघाट, वाराणसी, उ0प्र0 – 221007	न्यासी	स्त्री
पैन	FGQPB6344R				
आधार	801064372230				
9.	श्री आशू गुप्ता	श्री शिवकुमार गुप्ता	आई–75, गुजैनी, उद्योग नगर, कानपुर नगर, उ0प्र0 – 208022	न्यासी	पुरूष
पैन	APUPG1630H				
आधार	842247524756				

सोशल एम्पावरमेण्ट एंड रिसर्च आर्गेनाइजेशन (SERO)(सामाजिक सशक्तिकरण एवं अनुसंधान संगठन), के प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते, पद एवं व्यवसाय जिनको न्यास के नियमानुसार कार्यभार सौपा गया है।

क.सं.	नाम	पिता का नाम	पता	पद
1.	श्रीमती शैल शुक्ला	श्री विनोद कुमार शुक्ला	43/155, नारियल बाजार, काली मंदिर के पास, मेस्टन रोड, कानपुर नगर, उ0प्र0 –208001	ट्रस्टी /अध्यक्ष
2.	श्री सौरभ कुमार श्रीवास्तव	श्री अनिल कुंमार श्रीवास्तव	ए 414, AWHO, विवेक विहार, केन्द्रीय विहार के पास, से0–82, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0 – 201304	ट्रस्टी / उपाध्यक्ष
3.	श्री प्रतीक श्रीवास्तव	श्री जीतेन्द्र नाथ श्रीवास्तव	सा. 61/149, जे 1, जेडी नगर फेस 1, अकथा, पहड़िया, वाराणसी, उ0प्र0 –221001	ट्रस्टी / सचिव
4.	श्रीमती गजाला परवीन	श्री नफीस अहमद	216/5, लेबर कालोनी, जूही डिपो, जूही कालोनी, कानपुर, उ0प्र0– 208014	ट्रस्टी / उपसचिव
5.	श्रीमती कंचन गुप्ता	स्व. श्री छेदी लाल गुप्ता	सा 21/67–3 रूप्पनपुर, पंचकोशी, सलारपुर, वाराणसी उ0प्र0	ट्रस्टी / कोषाध्यक्ष
6.	श्रीमती सुजाता सिसोदिया	श्री लोकेश शिपंकर	BE–6बी, ज्ञानशिला सुपर सिटी, ज्ञानशिला गोल चौराहा, धाबली, इन्दौर, म0प्र0 – 453771	ट्रस्टी
7.	श्री आलोक सूर्यकान्त यादव	श्री अशोक कुमार	ग्राम करौसा, करौसा, कानपुर देहात, उ0प्र0 – 209101	ट्रस्टी

8.	कु0 रेनू यादव	श्री प्रेम कुमार	सा–19/90, दीनदयालपुर, नक्खीघाट, वाराणसी, उ0प्र0 – 221007	ट्रस्टी
9.	श्री आशू गुप्ता	श्री शिवकुमार गुप्ता	आई–75, गुजैनी, उद्योग नगर, कानपुर नगर, उ0प्र0 – 208022	ट्रस्टी

सोशल एम्पावरमेण्ट एंड रिसर्च आर्गेनाइजेशन (SERO)
(सामाजिक सशक्तिकरण एवं अनुसंधान संगठन)

1.	ट्रस्ट का नाम	सोशल एम्पावरमेण्ट एंड रिसर्च आर्गेनाइजेशन (SERO)/ (सामाजिक सशक्तिकरण एवं अनुसंधान संगठन)
2.	ट्रस्ट का पता	सा–61/149, जे–1, जे.डी. नगर फेस 1, अकथा, पहड़िया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश (भारत) – 221007
3.	ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र	सम्पूर्ण भारतवर्ष
4.	ट्रस्ट का उद्देश्य	स्मृति पत्र के अनुसार

ट्रस्ट की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्गः ट्रस्ट में निम्नवत प्रकार के ट्रस्टी होंगे। जिनके सदस्यता की श्रेणी निम्न रूप में होगी।

(अ) संस्थापक प्रतीक श्रीवास्तव

(ब) संरक्षक इस ट्रस्ट के संरक्षक वे होंगे जिनकी सलाह लेना तथ बैठक में आमन्त्रित करना प्रबन्ध समिति के लिये अनिवार्य होगा।

(स) विशिष्ट सदस्य नियमानुसार बनायें जायेंगे।

(द) सामान्य सदस्य इनकी संख्या कम से कम 11 होगी जो आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

(अ) संस्थापक सदस्य वे व्यक्ति जो स्थापना काल में ट्रस्ट की स्थापना में विशिष्ट योगदान करेंगे, संस्थापक सदस्य होंगे। उनको भी नियमित रूप से सदस्यता शुल्क देना होगा।

(ब) संरक्षक वे सदस्य जो सरकार द्वारा सम्मानित, उपाधि प्राप्त, विद्वानों, सांसदों, विधायकों, एवं समाज प्रतिष्ठित नागरिकों को ही संरक्षक सदस्य मनोनीत किया किया जायेगा। इनसे कोई भी निर्धारित शुल्क नही लिया जायेगा परन्तु वे अपनी स्वेच्छानुसार योगदान कर सकते है। किन्तु इनको मताधिकार नहीं दिया जायेगा। मनमानी करने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर दूसरों को नामित करने का अधिकार होगा।

(स) विशिष्ट सदस्य जो सदस्य प्रति वर्ष 1200 रूपये से 6000 रूपये सदस्यता शुल्क देंगे या ट्रस्ट के विकास हेतु विशिष्ट योगदान करेंगे। वे ही प्रबन्धकारिणी समिति के अनुमोदन के पश्चात ट्रस्ट के विशिष्ट सदस्य चुने जायेंगे।

Srivastav

(द) सामान्य सदस्य जो व्यक्ति ट्रस्ट को सेवा देने के इच्छुक होगें वे प्रति वर्ष रूपये 500/– शुल्क देंगे । वह सामान्य सदस्य होंगे। सामान्य सदस्यों में से प्रबन्धकारिणी समिति के अनुमोदन से विशिष्ट योगदान के आधार पर विशिष्ट सदस्य के रूप में चयनित किया जा सकेगा।

5. सदस्यता की समाप्ति मृत्यु हो जाने पर, पागल हो जाने पर, किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर, संस्था के नियमों का पालन न करने पर, नियमानुसार सदस्यता शुल्क न अदा करने पर, त्यागपत्र स्वीकार हो जाने पर, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर या चारित्रिक दोष के कारण दण्डित होने पर। लगातार बिना किसी उचित कारण के लगातार 3 बैठकों मे अनुपस्थित रहने पर सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी ।

6. ट्रस्ट के अंग

1.संरक्षक समिति
2.प्रबन्धकारिणी समिति
3.सामान्य सभा

7. संरक्षक समिति :

(अ) गठन संरक्षक सदस्यों एवं विशिष्ट सदस्यों को मिलाकर गठित समिति ही संरक्षक समिति होगी। जिसके द्वारा समय समय पर ट्रस्ट का मार्गदर्शन किया जायेगा। जिसके गठन का दायित्व आवश्यकतानुसार ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति का होगा।

(ब) बैठकें वर्ष में एक बार/आवश्यकतानुसार प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि एक सप्ताह पूर्व या आकस्मिक रूप से 24 घंटे पूर्व।

(द) कोरम 50 प्रतिशत से अधिक

प्रबन्धकारिणी समिति :

(अ) गठन प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के सभी सदस्यों में से गठित होगी। प्रबन्धकारिणी समिति में न्यूनतम 9 सदस्य होंगे। सदस्य संख्या आवश्यकतानुसारी कभी भी घटाई या बढ़ायी जा सकती है। जिसका निर्धारण प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में किया जायेगा।

(ब) बैठकें प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठके 1 वर्ष में 2 या आवश्यकतानुसार तथा विशेष बैठकों को 24 घंटे पूर्व सूचना देकर भी बुलाया जा सकता है।

(स) सूचना अवधि प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों को 7 दिन पूर्व व विशेष बैठकों को 24 घंटे पूर्व ही सूचना देकर बुलाया जा सकता है।

(द) कोरम प्रबन्धकारिणी समिति की सभी प्रकार की बैठकों के लिये कुल सदस्य संख्या की 2/3 की उपस्थिति आवश्यक होगी। किन्तु स्थगित बैठकों पर कोरम का प्रतिबन्ध न होगा।

Shivadas

(य) रिक्त स्थाना की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति साधारण समिति की बैठक में चुनाव द्वारा बहुमत से शेष कार्यकाल के लिये किया जायेगा।

(र) कार्यकाल प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्षो का होगा। जिसे विशेष परिस्थितियों मे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य

1. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट के प्रबन्धन हेतु पूर्ण रूप से जिम्मेदार समिति होगी।
2. वार्षिक प्रगति रिर्पोट तैयार कर प्रकाशित करना।
3. वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर उनको लागू करना।
4. कार्यवाही रजिस्टर/फाइल में प्रबन्धकारिणी समिति का विवरण समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर सहित दर्ज किया जाना आवश्यक होगा।
5. ट्रस्ट की समस्त चल एवं अचल संपत्तियों पर नियन्त्रण रखना।
6. उपसमितियॉ एवं उपनियमों को बनाना एवं उनके पदाधिकारी नियुक्त।
7. संस्था के विवादों को सुलझाना।
8. संस्था के कार्यो के उद्देश्य की पूर्ति के लिये राज्य सरकार, केन्द्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं, विभिन्न विभागों, बैंकों, कॉर्पोरेट, नागरिको से आर्थिक सहायता, ऋण, अनुदान, चंदा, दान, चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।

साधारण सभा

(अ) गठन साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिला कर किया जायेगा ।

(ब) बैठकें साधारण सभा की सामान्य बैठकें एक वर्ष में एक व विशेष बैठकों को आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाया जा सकता है ।

(स) सूचना अवधि साधारण सभा की सामान्य बैठकों को 15 दिन पूर्व व विशेष बैठकों को तीन दिन पूर्व सूचना दे कर बुलाया जा सकता है ।

(द) कोरम साधारण सभा के सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्य संख्या की 2/3 की उपस्थिति आवश्यक है । किन्तु कोरम के आभाव में स्थगित बैठकों को 2 घंटे बाद पुनः आहूत करने पर कोरम का प्रतिबन्ध नहीं होगा, लेकिन एजेंडा का विषय पूर्ववत ही रहेंगा।

(य) साधारण सभा के कर्तव्य

1.प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
2.वार्षिक आय व्यय, बजट को पारित करना।
3.नियमों व विनियमों को 2/3 के बहुमत से संशोधित करना।

8. **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य**

1. अध्यक्ष

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता स्वीकार करना।
2. वार्षिक कार्यक्रमों का समय समय पर निरीक्षण करना।
3. प्रस्ताव आदि रखने की अनुमति प्रदान करना।
4. बैठकों आदि की तिथियों का अनुमोदन व परिवर्तन करना।
5. समान मत होने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना।
6. सचिव द्वारा किये गये अनुमोदन स्वीकार/अस्वीकार करना।
7. संस्था के विकास में अपना योगदान देना।
8. ट्रस्ट के मुखिया के रूप में कार्य करना।
9. संरक्षक समिति के समय समय पर सलाह मशवरा करना।
10. ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को दिशा निर्देश देना एवं उप समिति बनाना।
11. कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

2. उपाध्यक्ष

1. अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता स्वीकार करना।
2. अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये कार्यो का निर्वहन करना।
3. संस्था के हित के लिये कार्य करना।

3. सचिव

1. सभी प्रकार के बैठकों को संचालित करना।
2. बैठकों की कार्यवाही को लिपिबद्ध कराना।
3. वार्षिक बजट साधारण सभा द्वारा पारित करना।
4. वार्षिक प्रगति रिर्पोट तैयार कर प्रबन्ध समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
5. ट्रस्ट के ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
6. ट्रस्ट के ओर से समस्त बिलों और वाउचर पर हस्ताक्षर करना।
7. ट्रस्ट के ओर से समस्त कानूनी कार्यवाही का संचालन करना।
8. ट्रस्ट के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करना।
9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिय ऋण, अनुदान, चन्दा, दान आदि प्राप्त करना।
10. कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, वेतन वितरण, एवं पदच्युत करना।
11. आवश्यकतानुसार रूपये 25,000/– (पच्चीस हजार) तक का व्यय करना एवं अधिक धन के लिये प्रबन्ध समिति से अनुमोदन प्राप्त करना।
12. समय समय पर प्रबन्ध समिति द्वारा प्राप्त अधिकारों को प्रयों करना।
13. ट्रस्ट के समस्त चल एवं अचल सम्पत्तियों पर नियन्त्रण रखना।

Srivastav

14. संस्था के विकास के लिय सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना।

4. उपसचिव

1. सचिव की अनुपस्थिति में सचिव पद की जिम्मेदारी का निर्वहन करना।
2. अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये कार्यो के निर्वहन करना।
3. संस्था के हित के लिये कार्य करनां।

5. कोषाध्यक्ष

1. वार्षिक आय व व्यय का विवरण तैयार करना।
2. आय व्यय सम्बन्धित अभिलेखों को लिपिबद्ध करना।
3. सदस्यों/जनमानस से चन्दा/सदस्यता शुल्क प्राप्त कर उनकों रसीदें देना।
4. सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
5. 25,000/– रूपये से अधिक धन बैंक भेजना।

9. उप समिति

(अ) गठन

1. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा संरक्षक समिति के मार्गदर्शन में आवश्यकतानुसार राष्ट्र, राज्य, जनपद, ब्लाक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर उपसमिति का गठन किया जायेगा।
2. साधारण सभा/परियोजना से जुड़े सदस्यों में से उपसमिति का चयन होगा।
3. उपसमिति के सदस्यों को मताधिकार नही होगा।

(ब) कार्यकाल

1. उपसमिति का कार्यकाल परियोजना की समयावधि के अनुसार होगा अथवा प्रबन्धकारिणी समिति के निर्देशानुसार होगा।
2. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा आवश्यकतानुसार उपसमिति को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है।

(स) उपसमिति के अधिकार एवं कर्तव्य

1. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्देशानुसार कार्य करना।
2. परियोजना/ ट्रस्ट के कार्य की जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक संचालन करना।
3. परियोजना/ ट्रस्ट के कार्य की प्रगति रिर्पोट व बही खाता (मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक अथवा आवश्यकतानुसार) प्रबन्धकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करना।
4. परियोजना/ ट्रस्ट से जुड़े कार्यों की रूपरेखा तैयार कर प्रबन्धकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करना।
5. उपसमिति के पदाधिकारियों को कोई विशेषाधिकार नही प्राप्त होगे। अपितु प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा उनके विवेकानुसार उपसमिति के सदस्यों को परियोजना से सम्बन्धित अधिकार प्रदान कियें जायेंगे।

10. ट्रस्ट के विनियमों व नियमों में संशोधन प्रकिया

ट्रस्ट के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, साधारण सभा की बैठक में 2/3 के बहुमत से भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अनुसार किया जायेगा।

11. ट्रस्ट के कोष

संस्था के समस्त कोष किसी राष्ट्रीयकृत / मान्यता प्राप्त बैंक में संस्था के नाम का खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा धन का आहरण संस्था के सचिव व कोषाध्यक्ष के सयुंक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा ।

12. उपसमित के कोष

उपसमिति के समस्त कोष किसी राष्ट्रीयकृत / मान्यता प्राप्त बैंक में उपसमिति के नाम का खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा धन का आहरण संस्था के प्रबंधकारिणी समिति द्वारा नामित पदाधिकारी व उपसमिति के एक सदस्य के सयुंक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा ।

13. ट्रस्ट/उपसमिति के लेखा परिक्षण

ट्रस्ट / उपसमिति के समस्त आय व व्यय का लेखा परिक्षण प्रतिवर्ष की समाप्ति पर संस्था के लेखा निरीक्षक या संस्था द्वारा नियुक्त किये गए ऑडिटर द्वारा कराया जायेगा ।

14. ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संशोधन का उत्तरदायित्व

ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरुद्ध समस्त प्रकार के वाद विवाद के निपटारे कानपुर उ०प्र० में ही होंगे तथा समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही का संचालन संस्था के सचिव करेंगे या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा कराएँगे ।

15. ट्रस्ट के अभिलेख

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. कैश बुक
4. लेज़र
5. वाउचर फाइल व अन्य समय समय पर आवश्यकतानुसार

16. विघटन

ट्रस्ट के विघटन और विघटित संपत्ति के निस्तारण की कार्यवाही भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत की जाएगी ।

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक 23-03-2024

हस्ताक्षर

Bairvastan

गवाह/पहचानकर्ता

1. साक्षी का नाम- श्रीमती पूजा देवी
   पति का नाम- श्री रामकुमार
   निवासिनी- संदहा, डोमनपुर, वाराणसी उ0प्र0-221112
   पेशा- अन्य
   मो0 नं0- 8528801831
   हस्ताक्षर पूजा देवी

2. साक्षी का नाम- चन्द्र कला
   पति का नाम- श्री वेद प्रकाश
   निवासिनी- सा 5/38-88 पहाड़पुर, वाराणसी उ0प्र0-221002
   पेशा- अन्य
   मो0 नं0- 9956284633
   हस्ताक्षर चन्द्रकला

मसविदाकर्ता

R. K. Srivastava

रवि कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट
दीवानी कचहरी वाराणसी।
मो0 नं0- 9140273161

टाईपकर्ता

मोहम्मद इमरान
कलेक्ट्रेट कचहरी वाराणसी।

Srivastava

आवेदन सं०: 202403996012370

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 306 के पृष्ठ 367 से 398 तक क्रमांक 57 पर दिनाँक 23/03/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजीत कुमार . प्रभारी .
उप निबंधक : सदर प्रथम
वाराणसी
23/03/2024

उपनिबंधक सब रजिस्ट्रार वाराणसी-जिला वाराणसी
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश